

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

रमेश कुमार

विपक्षी

सुरेश कुमार

कदमा

०१६

पत्रावली संख्या २०/२० सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>२५/५/२५ वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. पी.डी. पालना के लिये मौका चाहते है। अतः <u>३१/५/२५</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>२६/६/२५</u> को पेश हो। M. (SDO) मावली</p>	
<p>२६/६/२५ पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप. उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>२८/८/२५</u> को पेश हो B12</p>	
<p>२८/८/२५ वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. पी.डी. पालना के लिये मौका चाहते है। अतः <u>३१/८/२५</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>१५/१०/२५</u> को पेश हो। M. (SDO) मावली</p>	
<p>१५/१०/२५ पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप. तहसीलदार से राजस्व/मौका/ पी.डी. पालना रिपोर्ट अत्रापत। <u>३१/१०/२५</u> पत्रावली पेश होने रिपोर्ट दिनांक <u>२५/१०/२५</u> को पेश हो। M</p>	
<p>२५/१०/२५ पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप. उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>२९/१०/२५</u> को पेश हो। B10</p>	



29/10/25

फत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधार है। फत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 19/12/25 को पेश हो।

010
2

19/12/25

फत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधार है। फत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 12/2/26 को पेश हो।

010
2

18/2/26

फत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान
उप.। तहसीलदार से राजस्व/भौका/
री.डी. पावना रिपोर्ट प्राप्त।
08 न 6112 रडे।
फत्रावली वास्तु पेश होने रिपोर्ट दिनांक
6/3/26 को पेश हो।

06/3/26

फत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मघ
स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण
मघ स्वयं वादीगण को बार - बार आवाने
दिलवाई गई। समय सॉय 5:00 PM हो चुके हैं।
स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अब तक
अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मघ स्वयं
वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद
अदम हाबवी अदम पैरवी में खारिज किया जाता
है। फत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

निर्णय शुले न्यायालय सुनाया गया।



अध्यक्ष कलक्टर
(SDO) मावली